

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

फोटो कॉपी (मय कॉपियर मशीन व ऑपरेटर) की दर संविदा

निविदा प्रपत्र

1. निविदा निदेशालय के कक्ष संख्या 02 में दिनांक 09.08.2019 समय अपराह्न 03.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिये।
2. यदि निविदा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है तो कक्ष संख्या 02 में रखे बाक्स में डाली जावेगी।
3. यदि निविदा डाक से भेजी जाये तो दिनांक 09.08.2019 को अपराह्न 03.00 बजे तक कक्ष संख्या 02 में पहुंच जानी चाहिये इसके पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्राप्त निविदाएँ 4.00 बजे खोली जावेगी।

अति. निवेदाकार (कलाकार एवं प्रशासन)
अधिकारिता निविदा (पूर्ण अधिकारिता विभाग,
एक ददन समुक्त राजन संघव
सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

निविदा

विषय:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में फोटो कॉपी (मय कॉपियर मशीन व ऑपरेटर) की दर संविदा

ओर से :-

मैसर्स

को

अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन),
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर ।

संदर्भ:- आपकी निविदा सूचना क्रमांक..... दिनांक

विषयान्तर्गत संदर्भित निविदा के क्रम में निवेदन है कि :-

1. यह है कि मेरे/हमारे द्वारा रूपये 200/-निविदा फीस की राशि रोकड़ रसीद संख्यादिनांकद्वारा जमा करवा दी गई है, जो कि उप निदेशक (प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा जारी की गई है।
2. यह है कि मेरे/ हमारे द्वारा निविदा संबंधी दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा शर्त स्वीकार करने के रूप में हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। घोषणा पत्र संलग्न परिशिष्ट "अ"
3. यह है कि मेरे/हमारे द्वारा फोटो कॉपी (मय कॉपियर मशीन व ऑपरेटर) की दर संविदा हेतु निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट "स" शिड्युल ऑफ रेट्स निर्धारित प्रपत्र में अंकित कर दी है ।
4. यह है कि मेरे/हमारे द्वारा कार्य आदेश मिलने के 7 दिवस में कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा ।
5. यह है कि मेरे/हमारे द्वारा धरोहर (बयाना) राशि के रूप में डी.डी. संख्या/केश रसीद संख्या..... /चालान संख्या.....दिनांक द्वारा राशि रु..... जमा करवा दी गई है, जिसकी रसीद/ डी.डी. लिफाफे में डाल दिये हैं।
6. यह है कि मेरे/हमारे पास फोटो कॉपी कार्य हेतु वांछित क्षमता की मशीन उपलब्ध जिसका स्वामित्व हमारे पास है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व पता

जय नारायण मीणा

अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)
एवं राजनीति संयुक्त शासन संचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
निविदा फर्म

विषय:- फोटो कॉपी (मय कॉपियर मशीन व ऑपरेटर) की दर संविदा ।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म / संस्था का नाम तथा डाक का पूरा पता

.....
.....
.....
.....

2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक दिनांक निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/- जरिये रसीद संख्या दिनांक जमा कराई गई है।
3. निविदा सूचना, संख्या दिनांक जो कि, उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के द्वारा जारी की गई है में वर्णित समस्त शर्तों की पालना करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, का पालन करने के लिए हम सहमत हैं।
4. कार्य का जो ठेके पर दिया जाना है उसका विवरण परिशिष्ठ "ब" पर है। हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उसी आधार पर दरे दी जा रही है, संलग्न परिशिष्ठ "स"
5. कार्य आदेश प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि में कार्य करना शुरू कर दिया जायेगा।
6. परिशिष्ठ "स" में अंकित दर आदेश देने की दिनांक से एक वर्ष तक वैद्य होगी, जिसे 6 माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा, जिसके लिये सफल निविदादाता / संवेदक बाध्य होगा, और इससे अधिक अवधि बढ़ाने के लिये दोनों पक्षकारों की सहमति आवश्यक हैं।
7. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) रूपये (अक्षरे रूपये) के पक्ष में डी.डी संख्या / नकद रसीद संख्या / चालान संख्या दिनांक जमा करा दी गई है।

निविदादाता के हस्ताक्षर


जयपुर निविदा

अधिकारिता विभाग
नमं १०८ भंडुकता शासन संचिव
राजस्थान न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

ओर से :—

अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन),
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर।

को:—

मैसर्स

प्रिय श्री

आपके आवेदन पत्र दिनांक... और निविदा प्रपत्र की कीमत रूपये 200 जरिये रखीद जमा कर निविदा दस्तावेज की मांग की है। अतः फोटो कॉपी (मय कॉपियर मशीन व ऑपरेटर) की दर संविदा कार्य से संबंधित निविदा दस्तावेज की एक प्रति जारी की जा रही है। मूल निविदा प्रपत्र भरकर निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में दिनांक 09.08.2019 को अपराह्न 03.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिये। प्राप्त निविदाएं उसी दिन 4:00 बजे खोली जावेगी। कृपया, निविदा एवं संविदा की शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें और निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्त स्वीकार करने के टोकन के रूप में हस्ताक्षर करें और अपनी दरें निर्धारित प्रारूप में ही भरकर उस पर हस्ताक्षर करें।



जय नारायण मेहता

अधिकारिता निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)
गवर्नर एवं राज्यपाल साक्षन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन),
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान जयपुर।

घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्त नहीं लगाई है अगर कही अंकित कर दी गई है तो वह वापसी ली हुई मानी जाती है/मानी जावेगी।

यह है कि यदि कोई सूचना गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृत कर दी गई है तो उसे निरस्त कर जमा निक्षेप राशि (सिक्योरिटी) जब्त कर सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

जय नारायण भीणा

अधिकारी निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)

एवं वर्तमान संयुक्त शासन सचिव

सामाजिक जड़ एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान, जयपुर

नाम व पता

फोटो स्टेट कार्य विशिष्टियां

1	फोटो कॉपी मशीन मय ऑपरेटर	उच्च क्षमता युक्त(मॉडल वर्ष 2018 से पुराना नहीं हो) जिससे 3000 प्रतियां प्रतिदिन हो सके तथा सेट बनाने की सुविधा हो ।
2	फोटो स्टेट पेपर	75 जीएसएम
3	पेपर साइज	ए-4 / एफ.एस.
4	अनुमानित फोटो कॉपी	80000 से 1,20,000 प्रतिमाह

प्रतिबंध एवं शर्तें

- निविदादाता द्वारा 2(दो) मशीन मय ऑपरेटर इस विभाग के कार्यालय में ही लगानी होंगी एवं फोटो कॉपी पेपर अच्छी गुणवत्ता का 75 जीएसएम उपयोग में लिया जायेगा।
- फोटो स्टेट मशीन के रखरखाव व मरम्मत का पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा।
- मशीन खराब होने की स्थिति में तुरन्त 2 घण्टे में मरम्मत करानी आवश्यक होगी तथा इस अवधि में फोटो स्टेट कार्य निविदादाता को ही अन्यत्र/स्वयं के साधन से किया जाना होगा। मशीन मरम्मत में 24 घण्टे से अधिक समय लगने की सम्भावना होने पर तुरन्त अन्य फोटो कॉपी मशीन लगवानी होगी।
- विद्युत खर्च विभाग द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन/पाइंट उपलब्ध कराया जायेगा तथा अन्य विद्युत यंत्र स्वयं निविदादाता को लगाने होंगे। मशीन की स्थापना हेतु स्थान विभाग द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
- फोटो कॉपी मशीन पर फोटो कॉपियों की गणना इस हेतु संधारित पंजिका के आधार पर की जावेगी जिसे इस हेतु नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- निर्धारित समय में मशीन मरम्मत नहीं होने अथवा दूसरी मशीन नहीं लगाने अथवा फोटो स्टेट कार्य निविदादाता द्वारा नहीं करवाने की स्थिति में विभाग द्वारा निविदादाता की जोखिम एवं लागत पर बाजार से फोटो कॉपी कार्य करवाया जायेगा। ऐसी कॉपियों का व्यय मासिक भुगतान योग्य राशि से कटौती कर वसूल किया जायेगा।
- फोटो कॉपी के साथ— साथ फोटो प्रतियों का सेट भी मशीन ऑपरेटर द्वारा बनाकर दिया जायेगा।
- कार्यालय समय से आधा घण्टा पूर्व व कार्यालय समय से एक घण्टा बाद तक फोटो कॉपी कार्य करना होगा अर्थात् प्रातः 9.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक कार्य करना होगा। विशेष परिस्थितियों यथा विधान सभा सत्र के दौरान, विभागीय बजट कार्य बैठकों आदि के समय

D:/Anil Ji/Rajiv Gandhi Krishi Vigyan Kosh/Order.docx

अतिरिक्त निटेशन (सतर्कता एवं प्रशासन)

एवं एक नया निटेशन शासन सचिव
स.मार्जिन याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

- कार्यालय खुला रहने तक कार्य लिया जा सकता है तथा अवकाश के दिन भी फोटो कॉपी कार्य लिया जा सकेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
9. ऑपरेटर अनुभवी एवं सेट बनाने के कार्य में निपुण होना चाहिये। ऑपरेटर का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर विभाग के लिखित निर्देश पर अधिकतम 7 दिवस में दूसरा ऑपरेटर नियुक्त करना होगा।
 10. विभाग में कार्य करने वाले ऑपरेटर का पता पूर्ण विवरण मय फोटो विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
 11. ठेकेदार को धरोहर राशि के रूप में ठेके की राशि की 2 प्रतिशत राशि रुपये बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / नकद द्वारा निविदा पत्र के साथ जमा कराना होगी। बिना धरोहर राशि जमा कराये निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। कार्य का ठेका अन्य किसी व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा।
 12. ठेकेदार को जमानत के रूप में ठेके की कुल राशि का 5 प्रतिशत निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी.आर. / एन.एस.सी. / नगद द्वारा जमा करानी होगी तथा धरोहर राशि जमानत राशि में समायोजित कर ली जायेगी। यह राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जायेगी। यदि ठेके की शर्तों का उल्लंघन पाया गया तो विभाग को नियमानुसार आर्थिक दण्ड देने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा आर्थिक दण्ड जमा नहीं कराने की स्थिति में दण्ड की राशि जमानत की राशि से वसूल की जायेगी।
 13. ठेके की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।
 14. ठेके की शर्तों का उल्लंघन होने पर विभाग को संवेदक की जोखिम व लागत पर अन्य ठेकेदार से कार्य कराये जाने का अधिकार होगा और संविदा निरस्त करने का भी अधिकार होगा।
 15. किसी प्रकार का विवाद होने पर ठेकेदार / किसी भी पक्ष (सरकार अंथवा संविदाकार) द्वारा कानूनी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पड़े तो न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
 16. ठेके की एक वर्ष की अवधि में यदि फोटो स्टेट कार्य उत्कृष्ट पाया गया तो कार्य का ठेका मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा।
 17. ठेका स्वीकृत हो जाने की स्थिति में सफल निविदादाताओं को 10 दिवस के अन्दर 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।
 18. न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
 19. ठेकेदार द्वारा नियोजित ऑपरेटर द्वारा किये गये किसी कार्य या चूक के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा अर्थात् इसके लिये विभाग के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। ऑपरेटर की किसी गतिविधि/कार्य से विभाग को कोई नुकसान/क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता को तुरन्त करनी होगी।

20. मोहरबन्द निविदा प्रपत्र धरोहर राशि सहित दिनांक 09.08.2019 को अपरान्ह 03.00 बजे तक कक्ष संख्या 02 में पहुँच जानी चाहिए एवं प्राप्त निविदाएँ उसी दिन मध्यान्ह पश्चात् 04:00 बजे खोली जावेंगी।
21. कार्य के दौरान आपरेटर/कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप से अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके लिए मुआवजे आदि देने का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
22. ठेके की अवधि में यदि ऑपरेटर/कर्मचारी द्वारा हड्डताल की जाती है और निविदा दाता इस अवधि में कार्यों को कराने में असमर्थ रहता है तो विभाग द्वारा अपने स्तर पर फोटो कॉपी कराने में जो राशि व्यय की जाती है, वह राशि ठेकेदार को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि में से समायोजन कर दी जावेगी।
23. निविदादाता द्वारा जोड़ी गई अन्य शर्तों पर विचार नहीं किया जायेगा।
24. परिसमाप्त नुकसानी— 3000 फोटो कॉपी तक का कार्य उसी दिन सायंकाल तक पूर्ण कर देना होगा। इसके पश्चात सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के एस आर 16 के नियम-35 के अनुसार निम्नानुसार परिसमाप्त नुकसानी (L.D.) वसूली जायेगी:—
- | | |
|--|----------------------|
| क—निर्धारित अवधि की एक चौथाई अवधि तक विलम्ब के लिये | 2.50 प्रतिशत |
| ख—एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु निर्धारित अवधि की आधी अवधि तक विलम्ब के लिये | 5.00 प्रतिशत |
| ग—आधी अवधि से अधिक किन्तु निर्धारित अवधि की तीन चौथाई अवधि तक विलम्ब के लिये | 7.50 प्रतिशत |
| घ—तीन चौथाई अवधि से अधिक विलम्ब के लिये | 10.00 प्रतिशत |


जय नारायण मीणा

अलिम्पिंग लिमिटेड (सतरक्सा एवं प्रशासन)
सामाजिक व्युक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर

(हस्ताक्षर निविदादाता)

परिशिष्ट "स"

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर
दरों की सूची (Schedule of Rates)

क्र. सं	पेपर साइज	दर प्रति कॉपी (मय कागज)
1	A -4 SIZE ONE SIDE	
	A -4 SIZE TWO SIDE	
2.	F -S SIZE ONE SIDE	
	F -S SIZE TWO SIDE	
3.	A -3 SIZE ONE SIDE	
	A -3 SIZE TWO SIDE	

नोट:- दरों समस्त कर-प्रभारों सहित दी जावे। उक्त दरों के अतिरिक्त अन्य कोई कर प्रभार विभाग द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

जय नारायण मीणा
संयुक्त शासन सचिव
प्रभारी न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर
एवं मोहर

अनुबंध-पत्र

आज दिनांक को

(प्रथम पक्ष) एवं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त निदेशक सतर्कता एवं प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (द्वितीय पक्ष) के मध्य अनुबंध सम्पादित किया गया। दोनों पक्ष अनुबंध की निम्न शर्तों की पालना हेतु बाध्य होगें कि :—

प्रथम पक्ष द्वारा अम्बेडकर भवन में फोटो स्टेट मशीन की स्थापना कर विभागीय आदेश क्रमांक एफ 04(2)स्टोर/सान्याअवि/.....जयपुर, दिनांक के अनुसार संचालन दिनांक से प्रारम्भ किया जा चुका है, अनुबंध दिनांक से ही प्रभावी माना जायेगा।

1. विभागीय आदेश क्रमांक एफ 04 (2)स्टोर/सान्याअवि/.....जयपुर, दिनांक एवं निविदा क्रमांक दिनांक के साथ संलग्न निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तों की पालना दोनों पक्षों द्वारा की जायेगी।
2. प्रथम पक्ष द्वारा फोटो स्टेट कार्य पेपर सहित निम्नांकित दरों पर सम्पादित किया जायेगा :—

क्र.सं	पेपर साइज	दर प्रति कॉपी (मय कागज)
1.	A -4 SIZE ONE SIDE	
	A -4 SIZE TWO SIDE	
2.	F -S SIZE ONE SIDE	
	F -S SIZE TWO SIDE	
3.	A -3 SIZE ONE SIDE	
	A -3 SIZE TWO SIDE	

3. प्रथम पक्ष द्वारा निविदा शर्तों के अनुरूप कुल अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत सुरक्षित जमा (Security Deposit) के रूप में विभाग को राशि रु. द्वारा बैंकर्स चैक संख्या दिनांक रु. व रसीद सं.

दिनांक रु... द्वारा जमा करवादी गई है, जिसे अनुबंध समाप्ति पर नियमानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा लौटाया जायेगा।

4. प्रथम पक्ष द्वारा मशीन मय ऑपरेटर इस विभाग के कार्यालय में ही लगानी होगी एवं फोटो कॉपी पेपर अच्छी गुणवत्ता का 75 लैड उपयोग में लिया जायेगा।
5. फोटो स्टेट मशीन के रखरखाव व मरम्मत का पूर्ण दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
6. विद्युत खर्च द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा एवं विद्युत कनेक्शन/पोर्ट उपलब्ध कराया जायेगा तथा अन्य विद्युत यंत्र स्वयं प्रथम पक्ष को लगाने होंगे। मशीन की स्थापना हेतु स्थान द्वितीय पक्ष द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
7. ठेके की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद में निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा एवं प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
8. ठेके की शर्तों का उल्लंघन होने पर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की जोखिम व लागत पर अन्य ठेकेदार से कार्य कराये जाने का अधिकार होगा और संविदा निरस्त करने का भी अधिकार होगा।
9. ठेके की एक वर्ष की अवधि में यदि फोटो स्टेट कार्य उत्कृष्ट पाया गया तो कार्य का ठेका मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा।
10. प्रथम पक्ष द्वारा नियोजित ऑपरेटर द्वारा किये गये किसी कार्य या चूक के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा अर्थात् इसके लिये विभाग के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। ऑपरेटर की किसी गतिविधि/कार्य से विभाग को कोई नुकसान/क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति प्रथम पक्ष को तुरन्त करनी होगी।
11. कार्य के दौरान आपरेटर /कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप से अपेंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके लिए मुआवजे आदि देने का भार प्रथम पक्ष द्वारा ही वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
12. ठेके की अवधि में यदि आपरेटर /कर्मचारी द्वारा हड़ताल की जाती है और प्रथम पक्ष इस अवधि में कार्यों को कराने में असमर्थ रहता है तो द्वितीय पक्ष द्वारा अपने स्तर पर फोटो कॉपी कराने में जो राशि व्यय की जाती है, वह राशि प्रथम पक्ष को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि में से समायोजन कर दी जावेगी।
13. परिसमाप्ति नुकसानी— द्वितीय पक्ष के निर्देशानुसार 3000 फोटो कॉपी तक का कार्य उसी दिन सायंकाल तक पूर्ण कर देना होगा। कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में

अतिरिक्त भित्रेका द्वारा

अतिरिक्त भित्रेका (प्रतिकृता एवं प्रशासन) एवं पर्याप्त शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

इसके पश्चात सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के एस आर 16 के नियम-35 के अनुसार निम्नानुसार परिसमापित नुकसानी (L.D.) की वसूली प्रथम पक्ष से की जायेगी :—

क—निर्धारित अवधि की एक चौथाई अवधि तक विलम्ब के लिये

2.50 प्रतिशत

ख—एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु निर्धारित अवधि की आधी अवधि तक विलम्ब के लिये **5.00 प्रतिशत**

ग—आधी अवधि से अधिक किन्तु निर्धारित अवधि की तीन चौथाई अवधि तक विलम्ब के लिये **7.50 प्रतिशत**

घ—तीन चौथाई अवधि से अधिक विलम्ब के लिये **10.00 प्रतिशत**

14. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक कार्यवाही का क्षेत्र जयपुर होगा ।

हस्ताक्षर

1— गवाह

(प्रथम पक्ष)

2— गवाह

(द्वितीय पक्ष)

जयनालयन मीणा
अतिरिक्त निवेशक (संतरफला एवं प्रशासन)
एवं पर्यान संयुक्त शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान जयपुर